संख्या- 46/2017/ 1703/41-2017-163 यो0/2015

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2017**

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद सन्तकबीरनगर में 30 बेड की डारमेट्री के निर्माण एवं अन्य विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2580/6-1-1(668)/2017, दिनांक 23-08-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद सन्तकबीरनगर में 30 बेड की डारमेट्री के निर्माण एवं अन्य विकास कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, फैजाबाद द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष उक्त कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए धनराशि रू0 107.57 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 53.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-153/2015/2039/41-2015-163 यो0/2015, दिनांक 04.11.2015 द्वारा प्रदान की गयी है। अब राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद सन्तकबीरनगर में 30 बेड की डारमेट्री के निर्माण एवं अन्य विकास कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष धनराशि रू0 53,79,000.00 (रूपये तिरपन लाख उन्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त अवशेष धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किये गये आगणन का परीक्षण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- 19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में दिये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गये प्रावधानों/मार्गदर्शी बिन्दुओ के अन्तर्गत सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को सेन्टेज का भुगतान अनुमन्यता के आधार पर नियमानुसार ही किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्तिच कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इस सम्बन्ध में यदि किसी अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही उक्त अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजना हेतु पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशियों के सापेक्ष कराये गये कार्य स्वीकृत योजना के निर्धारित स्वरूप/योजना के अनुसार कराये गये हैं तथा उक्त कार्य में निर्धारित मानदण्डों/गुणवत्ता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

(4) योजना के कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(10) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

3. प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं08/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 46/2017/ 1703(1)**/41-2017-163 यो0/2015 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, बस्ती/जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6 कोषाधिकारी, संतकबीरनगर।
7- निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एवं कन्सल्टेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in